प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अभियुक्त को हुई 10 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांकः 22.07.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 22.7.2021 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर 7 वर्ष कठोर कारावास एवम् अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना लहरपुर से सम्बन्धित मु0अ0सं0 365/2011 धारा 498ए/304बी/302/34 भादवि व 4 डीपी एक्ट बनाम रामशुक्ला पुत्र गुरूचरन लाल निवासी गन्नी टोला थाना लहरपुर सीतापुर में लहरपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 22.7.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-12 सीतापुर द्वारा अभियुक्त रामशुक्ला पुत्र गुरूचरन लाल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 304बी भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास, धारा 498ए भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000/-रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।